न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 105/2024 G.C.M.S. No. 2024/527 दर्ज दिनांक : 13.06.2017

अपीलार्थिगण:

1. प्रभुराम पुत्र मूलाराम सीरवी जाति सीरवी निवासी ठाकरवास
2. शिवदयाल चौधरी पुत्र लिखमाराम सीरवी, जाति सीरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/2023 बअनवान तहसीलदार जैतारण बनाम प्रभुराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024

उपस्थित:–

1. श्री जगदीश सोलंकी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 25.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/2023 बअनवान तहसीलदार जैतारण बनाम प्रभुराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा पातुस पटवार हल्का बिरोल खसरा संख्या 49/152 रकबा 0.9389 हैक्टेयर के चाही दोयम 10–14 बीघा स्थित है। उक्त आराजी का प्रतिवादी द्वारा कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यिक उपयोग प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटकर खुर्द–बुर्द कर रहे हैं। जिसका प्रतिवादी को हक नहीं हैं। प्रतिवादी ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 18.09.2023 को नियत रखी। उस दिन पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 16.10.2023 को नियत की एवं उस दिन प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन प्रोपर तामील नहीं हो रखे थें। इसके बावजूद दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थना पत्र

राजस्व ... ...कारी पाली

आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में बहस प्रार्थना पत्र सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.11.2024 को नियत की। अधीनस्थ न्यायालय में केवल मात्र पत्रावलियों का निस्तारण करने के आशय से प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई का अंकन किया है एवं दिनांक 18.11.2024 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा की प्रोसीडिंग के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थीं तथा प्रतिवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिक प्रावधानों व साक्ष्य के प्रतिकूल है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण आदि नहीं हैं। पत्रावली पर गैर कृषि कार्य बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अपीलांट खातेदार द्वारा काश्तकारी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना माईण्ड अप्लाई किए विधिक प्रावधानों व विधिक मंशा के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत होकर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण अपीलांट्स को नोटिस जारी होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2023 नियत की गई।
2. आदेशिका दिनांक 18.09.2023 के अंकन अनुसार प्रतिवादीगण को बार–बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सूचना के आज अनुपस्थित रहें। आज एसडीओ साहब दीगर कार्यों में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 16.10.2023 को पेश हों, का अंकन है। तत्पश्चात न्यायालय नहीं लगने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.06.2024 को नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश नहीं पारित किया गया तथा तारीख पेशी दिनांक 06.11.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किये जाने तथा प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने व पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी एवं मूल वाद दिनांक 18.11.2024 को पेश हों, का अंकन है। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 18.11.2024 के अंकन अनुसार अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी खारिज करते हुए दावा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करते हुए खातेदार अपीलांट्स को बेदखल किये जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट्स प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट शिवदयाल चौधरी से नोटिस तामील नहीं हुआ। अपीलांट प्रभुराम द्वारा दोनों नोटिस तामील होने का अंकन है। लेकिन प्रभुराम व शिवदयाल चौधरी एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं तथा दोनों बालिग है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी शिवदयाल को समुचित तामील करवाए बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने तथा आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में सारवान रूप से त्रुटि की हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर ही बहस सुनी। लेकिन पत्रावली प्रार्थना पत्र व मूल वाद के आदेश हेतु दिनांक 18.11.2024 को नियत कर दी गई। जोकि विधिक रूप से सारवान त्रुटि है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक लंबित प्रार्थना पत्रों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं कर दिया जाता तब तक मूल प्रकरण को निर्णित नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसका समुचित अनुपालन नहीं किया गया है।

6. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करते हुए प्रकरण को दावे के रूप में मानते हुए निस्तारित किया है। लेकिन प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। धारा 177 के प्रकरणों में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि यदि खातेदार द्वारा प्रकरण का विरोध नहीं किया जाता है तो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र के रूप में निस्तारित किया जाना चाहिए तथा विरोध किये जाने की दशा में दावे के रूप में निस्तारित किया जाना चाहिए। दावे की दशा में डिक्री पारित की जाती हैं, प्रार्थना पत्रों में ऐसा नहीं किया जाता है। दावा तथा डिक्री की दशा में प्रकरण में जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम किये जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधान अनुसार विवाद्यकवार निर्णय करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में उक्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभासपूर्ण निर्णय किया गया है।

7. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों की मंशा किसी भी रूप में काश्तकारों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार किये जाने की अनुमति नहीं देती हैं। काश्तकार की भूमि सिवायचक किये जाने से पूर्व काश्तकार को भूमि के मूल स्वरूप को बहाल किये जाने के लिए अवसर दिये जाने का प्रावधान धारा 178 (2) में विहित है। अतः ऐसे प्रकरणों में काश्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा संबंधित हल्का पटवारी की रिपोर्ट जिसमें यह अंकित किया है कि प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटी हुई हैं, के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। पत्रावली पर ही उपलब्ध दिनांक 28.03.2023 की हल्का पटवारी की रिपोर्ट व वादग्रस्त आराजी के मौके के फोटोग्राफ जो संबंधित हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं। यदि प्लॉटिंग आदि की जाती हैं तो आवश्यक रूप से प्लॉट की रजिस्ट्री आदि की जाती है। जोकि संबंधित तहसीलदार एवं पदेन सब–रजिस्ट्रार के समक्ष ही पेश की जाती हैं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य आदि ली गई हैं। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिये बिना दावा निर्णित व डिक्री किया गया है। जिसकी किसी भी दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/2023 बअनवान तहसीलदार जैतारण बनाम प्रभुराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए जवाब प्रस्तुत होने तथा खातेदारान द्वारा विरोध किये जाने की दशा में प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) तथा आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.05.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलक्टर ब्यावर व तहसीलदार जैतारण को प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner